अति महत्वपूर्ण

संख्या 5265 आर/छ:-पु0-5-1998

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 1998

विषय: स्थानान्तरण के समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान जारी शस्त्र लाइसेंसों का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक व्यक्तिगत् आग्नेयास्त्र लाइसेन्स जारी करने की प्रकिया/अतिरिक्त नीति निर्देश सम्बन्धी शासनदेश संख्या-1984 आर/छ:-पु0-5-678/96, दिनांक 03 जून, 1998 के प्रस्तर-13 में निम्नांकित निर्देश दिये गये थे:-

" जिला मजिस्ट्रेट के स्थानान्तरण के समय कोषागार का कार्यभार दिये जाते समय ही शस्त्र लाइसेंसों के रजिस्टर भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेगें तथा उनके द्वारा जारी शस्त्र लाइसेन्सों का विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ताकि स्थानान्तरण के पश्चात् किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी प्रविष्टियॉ न की जा सकें।"

2- उल्लेखनीय है कि समय-समय पर विभिन्न जनपदों से जिला मजिस्ट्रेटों के स्थानान्तरित होने पर तद्नुसार वांछित सूचना शासन को प्राप्त नहीं हो रही है और इस प्रकार उक्त शासनादेश द्वारा दिये गये निर्देशों का सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

3- अत: कृपया अपने मण्डल से सम्बन्धित जिलाधिकारियों से प्रश्नगत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा उन्हें स्पष्ट कर दें कि जिलाधिकारी के पद से स्थानान्तरण होने पर कार्यभार दिये जाते समय शस्त्र लाइसेन्स रजिस्टर को हस्ताक्षरित करने के साथ ही उनके कार्यकाल में निर्गत आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों का विवरण गृह विभाग को प्रत्येक दशा में तत्काल ही उपलब्ध करा दिया करें ताकि उनके स्थानान्तरण के पश्चात् फर्जी प्रविष्टि न हो सके।

कृपया इन आदेशों की प्राप्ति तुरन्त स्वीकार की जाये।

भवदीय,

(योगेन्द्र नारायण)
मुख्य सचिव।

टीपें